यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

...9.../2021 तारीखरजू:– 19-1-21

उनवान:– प्रहलाद बनाम उमेद वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम	
21	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि दिनांक 24.02.2021 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 321/0.32, 322/0.17, 323/0.16, 324/0.01, 325/0.05, 336/0.06, 337/0.21, 338/0.12, 339/0.13, 340/0.15, 341/0.12, 342/0.12, 346/0.14, 347/0.14, 348/0.25, 360/0.24, 361/0.20 कुल किता 17 कुल रकवा 2.89 है0 ग्राम भादौली तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी पेशी 24.02.2021 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे, खुर्द–बुर्द नही करे। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24.02.2021 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	252-54 19-1-21

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
24.2.21	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं: 1, 2 की ओर से श्री दिलावर सिंह Adv. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इस पत्रावली मेंथ उपस्थित नहीं० होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है जवाब पेश करने हि० 7.4.21 को पेश हो।
7.4.21	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ...अवकाश पर है... पत्रावली गतानुसार दिनांक ...19.5.21... को पेश हो।
30.6.21 पुन MIS Not Press	लोक डाउन के कारण जनरल तारिख पेशी से पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित हुए। Not Press का मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली